सत्र वाद सं0– 528 / 2024
सबौर थाना कांड संख्या–209 / 2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

निर्णय दिनांक – 03.06.2026

सत्र वाद संख्या – 528 / 2024

सबौर थाना कांड संख्या– 209 / 2022

अंतर्गत धारा – 341, 323, 307, 504,506/ 34 भा0द0वि0

निबंधन संख्या – 528 / 2024

बिहार राज्य द्वारा सूचक उदय कुमार, साकिन–चंधेरी, थाना–सबौर जिला–भागलपुर.....**सूचक**

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री जयदेव प्रसाद।

बनाम्

1. दिनेश प्रसाद यादव, पिता–स्व0 लखी गोप ..... उम्र लगभग–70 वर्ष
ग्राम–चनधेरी, सबौर, थाना–सबौर, जिला–भागलपुर, बिहार ।
2. हेमंत कुमार, पिता– योगेन्द्र प्रसाद यादव..... . उम्र लगभग–37 वर्ष
ग्राम–चनधेरी, सबौर, थाना–सबौर, जिला–भागलपुर, बिहार ।
3. हीरा कुमार, पिता–दिनेश प्रसाद यादव.....उम्र लगभग–40 वर्ष
ग्राम–चनधेरी, सबौर, थाना–सबौर, जिला–भागलपुर बिहार।

।.....अभियुक्तगण

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री प्रेम शंकर ठाकुर।

घटना की तिथि	08.06.2022
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	09.06.2022
आरोप पत्र की तिथि	25.12.2023
आरोप गठन की तिथि	18.09.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	27.03.2025
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	01.06.2026
निर्णय की तिथि	03.06.2026

सत्र वाद सं0– 528 / 2024
सबौर थाना कांड संख्या–209 / 2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	03.06.2026

सत्र वाद सं0– 528/2024
सबौर थाना कांड संख्या–209/2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	हीरा यादव	–	–	341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0	323, 341/34 दोषसिद्ध	–	–
2.	हेमंत यादव	–	–	341, 323, 307, 504,506/34 भा0द0वि0	323, 341/34 दोषसिद्ध	–	–
3.	दिनेश प्रसाद यादव	–	–	341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0	323, 341/34 दोषसिद्ध	–	–

क. अभियोजन गवाह :–

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
PW1	डाक्टर आनन्द मोहन शुक्ला	चिकित्सीय गवाह
PW2	सकलदेव यादव उर्फ सकलदेव प्रसाद यादव	स्वतंत्र साक्षी
PW3	जितेन्द्र कुमार यादव	स्वतंत्र साक्षी
PW4	उदय कुमार उर्फ उदय कुमार यादव	सूचक
PW5	सुबोध कुमार सिंह	अनुसंधानकर्ता

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

अभियोजन प्रदर्श :– 7

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	पी–1/पी डब्लू– 1	आर्यन राज का इन्जूरी रिपोर्ट का लिखावट एवं हस्ताक्षर
2.	पी–2/पी डब्लू– 1	मुरारी उर्फ अंश कुमार का इन्जूरी रिपोर्ट का लिखावट एवं हस्ताक्षर
3.	पी–3/पी डब्लू– 1	उदय कुमार का इन्जूरी रिपोर्ट का लिखावट एवं हस्ताक्षर
4.	पी–4/पी डब्लू– 4	टाईप किया हुआ लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर

सत्र वाद सं0– 528/2024

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सबौर थाना कांड संख्या–209/2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

5.	पी–5/पी डब्लू– 5	लिखित आवेदन पर कांड दर्ज करने का पृष्ठांकन तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष सबौर थाना दुर्गानन्द हांसदा के लिखाव एवं हस्ताक्षर है।
6.	पी–6/पी डब्लू– 5	प्रस्तुत कांड का औपचारिक प्राथमिकी जो थानालेखक के लिखावट में है जिसपर तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष सबौन थाना दुर्गानन्द हांसदा का हस्ताक्षर है।
7.	पी–7/पी डब्लू– 5	टारोप पत्र सं0–494/23 दिनांक–25.12.2023 है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है।

बचाव पक्ष प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

निर्णय

1. अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504, 506/34 के आरोपों के लिए दिनांक–18.09.2024 को आरोप गठन करके हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्तों द्वारा इंकार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई।

2. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण कुल हीरा यादव, हेमंत यादव, दिनेश प्रसाद यादव का विचारण भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के आरोपों के लिए किया गया है कि सुचक उदय कुमार, पिता–बिजली यादव, ग्राम –चंधेरी, थाना– सबौर, जिला–भागलपुर का निवासी हूँ। आज दिनांक–08.06.2022 को समय करीब 8:00 बजे सुबह जब मैं अपने घर से अपने खेत पर पहुंचा तो वहां पहले से ही घात लगाकर लाठी, खंती, रड के साथ मेरे ही गांव के हीरा यादव, हेमंत यादव, रोहित यादव, दिनेश प्रसाद यादव मौजूद था। हीरा यादव ने छड़ से मेरे बाये कंधे पर मारा जिससे मैं घायल होकर गिर गया। हेमंत यादव लोहे के खंती से मारा जिससे मेरे दाहिने हाथ और कलाई जख्मी हो गया। दिनेश यादव और रोहित यादव ईंट फेंक कर मार रहा था। जब बचाने के लिए आर्यन राज, मुरारी उर्फ अंश कुमार पहुंचा तो उक्त हेमंत यादव व दौड़कर आए योगेन्द्र यादव ने लोहे के सरिया से आर्यन राज के सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया और पूरा शरीर खून से नहा गया। घटना स्थल पर पहुंचे लागू कुमार उर्फ रवि कुमार रस्सी से उक्त आर्यन राज का गला दबा रहा था। लालू कुमार उर्फ रवि कुमार लोहे के रड से उसके पीठ पर मारा। खुशबू कुमारी, विवेक कुमार, आदित्य कुमार सभी ने आर्यन राज को पकड़े हुए थे और मारने के लिए उत्तेजित कर रहे थे। मुरारी उर्फ अंश कु मार को भी उक्त रोहित यादव ने लोहे के रड से सर पर मारा। हीरा यादव ने छड़ से उसके सर पर मारा। मंजू देवी, उदित कुमार, नीरज यादव मारपीट में सबका सहयोग कर रहे थे। जाते–जाते उक्त हीरा यादव, हेमंत यादव, रोहित यादव और लालू कुमार धमी दिया कि अगर गांव में रहना है तो कल

सत्र वाद सं0– 528 / 2024

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सबौर थाना कांड संख्या–209 / 2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

तक पांच लाख रंगदारी घर पर पहुंचा दो। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त अभियुक्तों के खिलाफ कि प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

3. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी नामित अभियुक्त हीरा यादव, हेमंत यादव, दिनेश प्रसाद यादव के विरूद्ध धारा 341, 323, 307, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–494 / 2023 दिनांक–25.12.2023 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक 04.01.2024 को लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक 04.07.2024 को उपस्थित अभियुक्त हीरा यादव, हेमंत यादव, तथा दिनेश प्रसाद यादव के विरूद्ध वाद को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। स्थानांतरण के क्रम में अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् अभियुक्त हीरा यादव, हेमंत यादव, दिनेश प्रसाद यादव का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया है तथा कहा है कि झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

6. प्रस्तुत वाद में अभियोजन के तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल पांच साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–01 डाक्टर आनंद मोहन शुक्ला
अभियोजन साक्षी सं0–02 सकलदेव यादव उर्फ सकलदेव प्रसाद यादव
अभियोजन साक्षी सं0–03 जितेन्द्र कुमार यादव
अभियोजन साक्षी सं0–04 उदय कुमार उर्फ उदय कुमार यादव
अभियोजन साक्षी सं0–05 सुबोध कुमार सिंह

7. अभियोजन के उपर यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करे। इस परिपेक्ष्य में **साक्षी सं0–1 डाक्टर आनन्द मोहन शुक्ला** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि I.On 28.12.2022 I was posted at C.H.C. Sabour medical officer. The supplementary report of Aryan Raj aged about 21 yrs/male S/0 Suresh Prasad Yadav, R/o Vill- Chanderi, Ps. Sabour, dist- Bhagalpur is prepared by me on 28-12-2022, which is as follows:-
i. X-ray Left Shoulder plate No- 262, dated 08-06-2022 shows no bony fracture seen. As per radiologist department of radiology, JLNMCH, Bhagalpur.
ii. NCCT of Brain (p) Plate No- 163, dated 08-06-2022 shows no parenchymal contusion seen. As per fadiologist department of radiology, JLNMCH, Bhagalpur.
Injury report is given Dr. Prashant Priyadarshi, Assistant Professor, JLNMCH, Bhagalpur.
Opinion- Simple injury caused by hard blunt substance.
This above said supplementary injury report of Aryan Raj is in typing and bears my Signature and seal and the same is identified by me and exhibited as Ext- P-1/PW1.

सत्र वाद सं0– 528 / 2024

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सबौर थाना कांड संख्या–209 / 2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

II. I was posted on 06-02-2023 as Medical officer at C.H.C Sabour, Bhagalpur. The supplementary report of Murari @ Ansh Kumar aged about 23 Yrs/Male S/o Vinod Prasad Yadav, R/o Vill- Chanderi, Ps- Sabour, Dist- Bhagalpur is prepared by me on 06-02-2023, which is as follows:-

i. X-ray Left Shoulder, Right Hand Plate No- 263, dated 08-06-2022 shows no bony fracture seen.

Injury report is given Dr. Prashant Priyadarshi, Assistant Professor, JLNMC, Bhagalpur.

Opinion- Simple injury caused by hard blunt substance.

This above said supplementary injury report of Murari @ Ansh Kumar is in typing and bears my Signature and seal and the same is identified by me and exhibited as Ext-P-2/Pw1.

III. I was posted on 06-02-2023 as Medical officer at C.H.C Sabour, Bhagalpur. The supplementary report of Uday kumar aged about 28 Yrs/Male S/o Bijli Yadav, R/o Vill- Chanderi, Ps- Sabour, Dist- Bhagalpur is prepared by me on 06-02-2023, which is as follows:-

i. X-Ray Right Forearm with wrist Plate-264, dated 08-06-2022 shows no bony fracture seen. As per radiologist department of radiology, JLNMCH, Bhagalpur .

Injury report is given Dr. Prashant Priyadashi. Assistant Professor, JLNMCH, Bhagalpur.

Opinion- Simple injury caused by hard blunt substance.

This above said supplementary injury report of Uday Kumar is in typing and bears my signature and seal and the same is identified by me and exhibited as Ext-P-3/Pw1.

8. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–2 सकलदेव यादव उर्फ सकलदेव प्रसाद यादव** के द्वारा कथन किया गया है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–3 जितेन्द्र कुमार यादव** के द्वारा कथन किया गया है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–4 उदय कुमार उर्फ उदय कुमार यादव** जो कि इस केस के सूचक हैं। इनके द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि घटना वर्ष 2022 की है। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। सुरेश यादव, हेमंत यादव, हीरा यादव, दिनेश यादव और दोनों के घर के सभी लोग आपस में झगड़ा मारपीट किये। घटना में मुझे, आर्यन और मुरारी को चोट लगी थी और ईलाज हुआ था।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–5 सुबोध कुमार सिंह** जो इस कांड के अनुसंधानकर्ता है। इन्होनें कहा है कि दिनांक 09.06.2022 को मैं सबौर थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सबौर थाना कांड सं0–209 / 22 का अनुसंधान का भार तत्कालीन थानाध्यक्ष से ग्रहण किया। कांड दैनिकी के पारा 1 प्राथमिकी अंकित किया। पारा 2 में वादी का पुनः बयान के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं ले सका। इस कांड का घ टनास्थल ग्राम–चन्धेरी में अवस्थित योगेन्द्र प्रसाद यादव, बिजली यादव, सुरेन्द्र यादव वादी लोगों का जमीन तथा जन वितरण प्रणाली का दुकान है जो अभियुक्त हेमंत कुमार है। घ टनास्थल के उत्तर में योगेन्द्र प्रसाद यादव का परती जमीन है, दक्षिण में कब्रिस्तान अवस्थित

सत्र वाद सं0– 528/2024

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सबौर थाना कांड संख्या–209/2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

है, पुरब में नवनिर्माणाधीन मकान है एवं पश्चिम में बिजली सिंह का परती जमीन है। घ टनास्थल के आस–पास के जमीन पर घास आदि रौंदाया जैसा पाया गया। साक्षी जितेन्द्र कुमार, साक्षी सकलदेव यादव का बयान लिया। जख्मी उदय कुमार, जख्मी मुरारी उर्फ अंश कुमार एवं जख्मी आर्यन राज का जख्म जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया। अभियुक्त दिनेश यादव एवं हेमंत यादव का आपराधिक इतिहास कांड दैनिकी के पारा 25 में अंकित है जो कि सबौर थाना कांड सं0–45/18 दिनांक–10.02.2018 धारा 147, 148, 149, 307, 379, 353, 435, 427, 504 भा0द0वि0 अंतर्गत नामजद है। पुलिस निरीक्षक महोदय सदर अंचल का समीक्षात्मक टिप्पणी प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। जख्मी मुरारी यादव उर्फ अंश कुमार का आवेदन पत्र का उल्लेख पारा 37 में है। कंडिका 40 में आर्यन राज का अंतिम जांच प्रतिवेदन की अंतिम प्रति अंकित है। कांड सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं0–494/23 दिनांक–25.12.2023 अभियुक्त हेमंत यादव, हीरा यादव, दिनेश प्रसाद यादव के विरुद्ध धारा 341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किए। लिखित आवेदन पर कांड दर्ज करने का पृष्ठांकन तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष सबौर थाना दुर्गानन्द हांसदा के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचातना हूं जिसे प्रदर्श–**P-5/PW5** अंकित किया जाता है। प्रस्तुत कांड का औपचारिक प्राथमिकी है जो थानालेखक के लिखावट में है जिसपर तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष सबौर थाना दुर्गानन्द हांसदा कर हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूं जिसे प्रदर्श–**P-6/PW5** अंकित किया जाता है। आरोप पत्र सं0–494/23 दिनांक–25.12.2023 है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूं जिसे प्रदर्श–**P-5/PW5** अंकित किया जाता है।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में तारतम्यता एवं बल है। एक–दूसरे के विरोधाभाषी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिससे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में घटना को साबित किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्पूर्ण युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। अतएव, अभियुक्तों को आरोपित अंतर्गत धारा 341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया जाय।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता, ग्राहयता एवं कांड की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहे है कि वास्तविक तथ्य यह है कि उभय पक्ष ग्रामीण है। सूचक अभियुक्तगण के जमीन पर नाजायज दखल करना चाहता है। जब अभियुक्तगण ने इसका विरोध किया तो सूचक ने ग्रामीण राजनीति के अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा एवं मनगढन्त कहानी बनाकर झूठा मुकदमा कर दिया यही कारण था कि अभियोजन की ओर से जो भी स्वतंत्र साक्षी साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुए उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है और जो अन्य स्वतंत्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित हुए है वह हितबद्ध साक्षी है।

14. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–4 जो स्वयं सूचक है। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में कहा है कि दोनों पक्षों के परिवार के बीच आपस में धक्का–मुक्की हुआ था। धक्का–मुक्की में गिरने से दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सूचक ने प्राथमिकी को टाईप नहीं कराया था और न ही उसके सामने टाईप नहीं हुआ था। आवेदन भी पढ़कर नहीं सुनाया गया था। दरोगा जी के कहने पर हस्ताक्षर किया था।

सत्र वाद सं0– 528/2024

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सबौर थाना कांड संख्या–209/2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

15. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉक्टर आनन्द मोहन शुक्ला गजेन्द्र प्रसाद सुधा ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि तीनों जख्मियों का जख्म गिरने से भी हो सकता है और आपस में धक्का–मुक्की करने से भी हो सकता है। तीनों जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है।

16. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–5 विवेचनाधिकारी है घटनास्थल से किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान जप्त नहीं किया था और मिट्टी वगैरह भी जप्त नहीं किया था।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घ ाटना के अनुरूप संपुष्ट कारक साक्ष्य न देकर विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में ना तो तारतम्यता ही है और ना ही बल है। बल एक दूसरे के विरोधभाषी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप भी साक्ष्य नहीं दिए है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित धारा से दोषमुक्त किया जाय।

18. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन कया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–341, 323, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया है। जहां तक धारा 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 का प्रश्न है। इसके संदर्भ में अभियोजन की ओर से परीक्षित डॉ0 आनन्द मोहन शुक्ला ने जख्मी के जख्म को साधारण प्रकृति का है एवं कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित किया गया पाया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सं0–4 उदय कुमार जो स्वयं सूचक को व जख्मियों को विशिष्टतः शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज किया जिससे सूचक एवं जख्मी का समाज में मान–प्रतिष्ठा हनन हुआ है। सूचक और अन्य साक्षियों के साक्ष्य ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तगण जख्मी व सूचक को जान कारने का प्रयत्न किए हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए धारा– 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतएव अभियुक्तगण को आरोपित धारा 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 के तहत दोषमुक्त किया जाता है।

जहां तक धारा–323/34, 341/34 भा0द0वि0 का प्रश्न है। सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि सुरेश यादव, हेमंत यादव, हीरा यादव, दिनेश यादव एवं दोनों के घर के सभी लोग आपस में लड़ाई–झगड़ा किए। घटना में मुझे, आर्यन और मुरारी को चोट लगी थी और इलाज हुआ था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त दिनेश यादव को पहचाता हूं और शेष अभियुक्त को देखकर पहचान सकता हूं। घटना के संदर्भ में टाईप किया हुआ लिखित आवेदन दिया था जिस पर मेरा हस्तक्षार है जिसे मैं पहचानता हूं। जिसे प्रदर्श–P-4/PW4 अंकित किया गया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के परिवार वालों के बीच धक्का–मुक्की हुआ था। अभियोजन की ओर से चिकित्साधिकारी व विवेचनाधिकारी परिक्षित हुए है। चिकित्साधिकारी ने अपने साक्ष्य में जख्मियों के जख्म को साधारण पाया है और विवेचनाधिकारी ने घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध सत्य पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–323/34, 341/34 भा0द0वि0 के संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित

सत्र वाद सं0– 528/2024

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सबौर थाना कांड संख्या–209/2022
राज्य बनाम् हीरा यादव व दो अन्य
निर्णय दिनांक–03.06.2026

कर दिया है। दोषसिद्ध व्यक्ति जमानत पर है इनके जमानदारों को बंधपत्र से मुक्त करते हुए दोषसिद्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई

दोषसिद्ध व्यक्ति के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोषसिद्ध व्यक्ति का प्रथम अपराध है पुर्व दोषसिद्ध का साक्ष्य पर नहीं है। दोषसिद्ध व्यकित अपने परिवार का भरण'–पोषण करने वाले अकेले व्यक्ति हैं। दोषसिद्ध व्यक्तियों को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम के तहत डांट फटकार/ भर्त्सना देकर छोड़ा गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजन का कथन है कि दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा सामाजिक संबंधों को तार–तार करते हुए सुचक के साथ मारपीट किए हैं। दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा कारितकृत्य निंदनीय है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध व्यक्तियों को उचित दंड से दंडित किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोषसिद्ध व्यक्तियों को धारा– 323/34, 341/34 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया गया है। अभिलेख अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दोषसिद्ध व्यक्तियों का पूर्व का कोई दोषसिद्ध का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। दोषसिद्ध व्यक्ति की आयु, लिंग एवं घर के कमाने वाले अकेले सदस्य पर विचार करते हुए दोषसि0 व्यक्ति को आपराधिक परविक्षा अधिनियम की धारा–3 के तहत डांट फटकार/ भर्त्सना देकर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

दोषसिद्ध व्यक्ति 1. दिनेश प्रसाद यादव, 2. हेमंत कुमार, 3.हिरा कुमार, को आपराधिक परविक्षा अधिनियम की धारा–3 के तहत डांट फटकार/ भर्त्सना देकर छोड़ा जाता है। दोषसिद्ध व्यक्ति इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे कि यदि सूचक अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करता है तो अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

निर्णय समाप्ति के पश्चात यह समीचीन प्रतीत होता है कि न्यायालय यह धारित करे कि मुकदमें में पीड़ित पक्ष कौन है ? अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के सूचक पीड़ित पक्षकार है परंतु उभय पक्ष के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को प्रतीकर की राशि की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–03.06.2026

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–03.06.2026